न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी–319–एक/08 विरुद्ध आदेश दिनांक 14.08.2007 पारित द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 261/अ–5/2006–07

धनीराम पिता बहोरीलाल नगाइच
साकिन– रनेह, तह0 हटा, जिला दमोह .....आवेदक

विरुद्ध

उमाशंकर पिता बिहारीलाल नगाइच,
साकिन– नई पुलिस लाईन, दमोह जि. दमोह (म.प्र) .....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी

आदेश

(आज दिनांक 7/12/17 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 261/अ–5/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2007 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक उमाशंकर द्वार नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2006 के विरुद्ध अनुविभागी अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 15.12.2006 को अपील प्रस्तुत की, जो उन्होंने आदे दिनांक 20.04.2007 द्वारा अवधि वाह्य होने से निरस्त की गई। इस के आदेश विरुद्ध अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई, जिसमें अपर आयु ने दिनांक 14.08.2007 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आ

निरस्त किया एवं प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वे प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर करें। आयुक्त के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि उनके समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलंब के संबंध में समुचित कारण दर्शाये गए हैं, जिसकी पुष्टि में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, किंतु अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त कारणों को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया है। अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलंब के संबंध में दिए गए कारण क्यों कर मान्य नहीं हैं, इसका उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा उनके आदेश को निरस्त कर प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर करने हेतु प्रकरण पुनः प्रत्यावर्तित करने में कोई न्यायिक त्रुटि नहीं की गई है। विद्वान आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण न्यायिक एवं विधि सम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर